



सर्वोत्तम प्रमाणित

(भूमि अर्जन अनुभाग)

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.com>, E-mail : info@upavp.com

संशोधन मंत्रालय, नई दिल्ली

पत्र संख्या-1728 / एल०ए०सी० / एच०क्यू०

नोटिस

दिनांक-06.02.2017

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965**(उ०प्र० अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-33 के अन्तर्गत नोटिस ।**

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ने लखनऊ शहर की बढ़ती हुई आवासीय माँग के निस्तारण हेतु भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4 (वृन्दावन) लखनऊ बनायी गयी थी जिसके सम्बन्ध में "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्" अधिनियम-1965 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिस संख्या-1512 / भू०अ०-दो-1105 (भाग-4) वृन्दावन / दिनांक 11.11.1999 का प्रकाशन उत्तर प्रदेश गजट में क्रमशः दिनांक 04.12.1999 दिनांक 11.12.1999 एवं दिनांक 18.12.1999 को कराया गया था जिसमें समाविष्ट योजना की सीमायें निम्न प्रकार हैं ।

उत्तर:- खसरा संख्या-1278 भाग, 1280 भाग, 1279 भाग, 1269 भाग, 1289 भाग, 1330 भाग, 1329 भाग, 1328 भाग, 1331 भाग, 1327 भाग, 1326 भाग, 1325 भाग, 1320 भाग, 1321 भाग, 1322 भाग, 1323 भाग, 1340 भाग, 660 भाग, 678 भाग, 676 भाग, 675 भाग, 689 भाग, 690 भाग, 691 भाग, 692 भाग, 718 भाग, 717 भाग, 766 भाग, 764 भाग, 754 भाग, 318 भाग, 383 भाग, 382 भाग, 381 भाग, 380 भाग ग्राम -बरौली खलीलाबाद, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ, खसरा संख्या-2445 भाग, 2589 भाग, 2442 भाग, 2421 भाग ग्राम-हैवतमऊ मवइया, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ वृन्दावन योजना संख्या-3 की दक्षिणी सीमा ।

पूरब:- लखनऊ-रायबरेली रेलवे लाइन ।

दक्षिण:- खसरा संख्या-96 भाग, 94 भाग, 95 भाग, 92 भाग, 90 भाग, 88 भाग, 87 भाग, 81 भाग, 80 भाग, 79 भाग, 72 भाग, 58 भाग, 46 भाग, 38 भाग, 39 भाग, 37 भाग, 40 भाग, 9 भाग, 14 भाग, 15 भाग, 6 भाग, 5 भाग, 4 भाग ग्राम-बिरुरा, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ । खसरा संख्या-3950 भाग, 3949 भाग, 3943 भाग, 3938 भाग, 506 भाग, 598 भाग, 608 भाग, 663 भाग, 668 भाग, 1070 भाग, 1067 भाग, 1073 भाग (नहर शारदा) ग्राम कल्ली पश्चिम, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ ।

पश्चिम-खसरा संख्या-1126 लखनऊ-रायबरेली राजमार्ग, ग्राम कल्ली पश्चिम, परगना बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ तथा खसरा संख्या-2393 भाग, लखनऊ-रायबरेली राजमार्ग, खसरा संख्या-2403 भाग, 2405 भाग, 2400 भाग, 2399, 2381, 2380, 2349, 2341, 2340, 2339, 2336, 2335, 2333, 2332, 2329, 2328, 2312, 2311 ग्राम-हैवतमऊ मवइया, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ (वृन्दावन योजना संख्या-2 की भाग सीमा) ।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-19, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद इन्दिरा नगर लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में 11:00 बजे पूर्वान्ह से 03:00 बजे अपरान्ह तक देखे जा सकते हैं ।

उक्त योजना के सम्बन्ध में परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 से 31 तक की अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अन्तिम रूप से परिषद अधिनियम-1965 की धारा-32(1) का प्रकाशन दिनांक 03.04.2004 को कराते हुए योजना संचालित की गयी । तदोपरान्त प्रश्नगत योजना का एवार्ड सं०-4/20/2006, दिनांक 28.01.2006 व एवार्ड संख्या-4/29/2006 दिनांक 29.12.2006 को तैयार कर घोषित किया गया ।

योजना का सुचारु रूप से संचालन किये जाने के उपरान्त परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 दिनांक 04.12.1999 को एवं धारा-32(1) दिनांक 03.04.2004 को प्रकाशित अधिसूचना के दृष्टिगत परिषद के सञ्ज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम-हैवतमऊ मवैया लखनऊ की भूमि खसरा-2668 का रकबा त्रुटिपूर्ण रूप से 1-8-0-0 बीघा (0.353 हेक्टेअर) के स्थान पर 0-1-8-0 बीघा अंकित है जबकि उक्त भूमि परिषद की योजना के मध्य क्षेत्र में है और सड़क के लिए वांछित है ।

उक्त त्रुटि के फलस्वरूप प्राकृतिक रूप में यह दृष्टिगोचर हुआ कि परिषद की वृन्दावन योजना-4, लखनऊ ही नहीं प्रभावित हुई बल्कि जनमानस भी इससे प्रभावित हुआ क्योंकि योजना में आवासों हेतु जनमानस को भी असुविधा हुई ।

इस प्रकार ग्राम हैवतमऊ मवैया की खसरा संख्या-2668 की अवशेष कृषक भूमि रकबा 1-1-2-0 बीघा (0.2663 हेक्टेअर) अधिग्रहण से छूट गयी और उस पर कोई आसुधार शुल्क अधिभारित नहीं हुआ ।

उपर्युक्त के दृष्टिगत वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ में परिवर्तन वांछनीय है । अतः मा० परिषद की 239वीं बैठक दिनांक 21.10.2016 के मद सं०-239/22 के द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-33 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए क्रमांक-1 से 7 पर निम्नांकित व्यक्तियों को इस आशय की नोटिस पत्र सं०-1393/एल०ए०सी०/एच०क्यू० दिनांक 05.12.2016 पंजीकृत डाक से प्रेषित की गयी है कि परिषद के उक्त संशोधित प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियाँ, इस नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर परिषद में प्रस्तुत करेंगे । यह भी सत्यापित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में निर्धारित तिथि तक यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जायेगा कि उक्त संशोधित प्रस्ताव से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और तदनुसार परिषद अग्रेतर विधिक कार्यवाही करेगी ।

अतः पुनः सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत खसरा सं०-2668 ग्राम-हैवतमऊ, मवइया की कब्जा/अभिनिर्णय हेतु अवशेष भूमि के संशोधित प्रस्ताव पर जिन काश्तकारों/भू-स्वामियों को यदि कोई आपत्ति हो तो इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी आपत्तियाँ कार्यालय आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद (भूमि अर्जन अनुभाग), 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-11, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ में प्रस्तुत करने का कष्ट करें । निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

भूमि का विवरण**खसरा संख्या-2668 का कुल रकबा-1-8-0-0 बीघा (0.3530 हे०)**

(A) 2668 (क) (कृषक भूमि)	—	1-2-10-0 बीघा (0.2840 हे०)
(B) 2668 (ख) (तालाब की भूमि)	—	0-5-10-0 बीघा (0.0690 हे०)
योग (A+B)	—	1-8-0-0 बीघा (0.3530 हे०)
तालाब को छोड़कर		
कुल रकबा	—	1-2-10-0 बीघा (0.2840 हे०)
अधिग्रहीत रकबा	—	0-1-8-0 बीघा (0.0177 हे०)
अवशेष रकबा	—	1-1-2-0 बीघा (0.2663 हे०)

1. श्री विश्राम पुत्र श्री दुलारे ग्राम-हैवतमऊ मवइया, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ ।
2. श्री नन्हकऊ पुत्र श्री राम चरन ग्राम-हैवतमऊ मवइया, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ ।
3. श्री विजय पाल पुत्र श्री शिव दयाल ग्राम-हैवतमऊ मवइया, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ ।
4. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री द्वारिका ग्राम-हैवतमऊ मवइया, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ ।
5. श्री रमेश कुमार पुत्र स्व० श्री बदलू ग्राम-हैवतमऊ मवइया, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ ।
6. श्री सुरेश कुमार पुत्र स्व० श्री बदलू ग्राम-हैवतमऊ मवइया, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ ।
7. श्रीमती कलावती पत्नी स्व० श्री बदलू ग्राम-हैवतमऊ मवइया, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ ।

आवास आयुक्त